अनुस्मारक-IV

फा.सं.08/02/2025-रा.भा.(सेवा)
भारत सरकार
गृह मंत्रालय/ राजभाषा विभाग

एनडीसीसी-॥ भवन, बी विंग, चौथा तल,
जयसिंह रोड, नई दिल्ली-110001
दिनांक 31 दिसंबर, 2025

कार्यालय ज्ञापन

विषय: वर्ष 2024-25 की वार्षिक कार्यनिष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट (APAR) के लंबित प्रकरणों के शीघ्र समापन के संबंध में।

उपरोक्त विषय के संदर्भ में, दिनांक 21 अगस्त, 2025, 11 सितम्बर, 2025, 17 अक्तूबर, 2025 तथा 03 दिसंबर, 2025 के समसंख्यक कार्यालय ज्ञापनों के क्रम में यह अवगत कराया जाता है कि वर्ष 2024-25 की वार्षिक कार्यनिष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट (APAR) की समीक्षा के दौरान यह पाया गया है कि विभिन्न स्तरों पर अभी भी बड़ी संख्या में APAR लंबित हैं। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, पोर्टल पर उपलब्ध लगभग **725 अधिकारियों/कर्मचारियों** की अब तक कुल **826** APAR सृजित की गई हैं, जिनमें से **केवल 340 APAR पूर्ण (Closed)** हुई हैं, जबकि शेष APAR निम्नानुसार विभिन्न स्तरों पर लंबित पाई गई हैं:

- **11 APAR** – CSOLS कार्मिक (Officer Reported Upon (ORU) के स्तर पर लंबित
- 50 NRC – ORU & CR के स्तर पर लंबित
- 56 APAR – Reporting Officer के स्तर पर लंबित
- 124 APAR –Reviewing Officer के स्तर पर लंबित
- 36 APAR – Custodian के पास प्रकटीकरण (Disclosure) हेतु लंबित
- 60 APAR – ORU द्वारा प्रकटीकरण अवलोकन के बाद पुनः Custodian को अग्रेषित किए जाने हेतु लंबित
- **143 APAR** – Custodian के पास समापन (Closure) हेतु लंबित

उक्त के संबंध में यह भी स्पष्ट किया जाता है कि वर्ष 2024-25 हेतु उपर्युक्त 826 APAR में से कुछ APAR पूर्ण अवधि की हैं, जबकि कुछ आंशिक अवधि (Part Period) की हैं, जो अधिकारियों/कर्मचारियों के विभिन्न कार्यालयों में अल्पकालिक पदस्थापन/स्थानांतरण के कारण सृजित हुई हैं। ऐसे प्रकरणों में संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा अपने संपूर्ण कार्यकाल से संबंधित APAR अथवा NRC (जहाँ भी लागू हो) को निर्धारित समय-सीमा के भीतर अनिवार्य रूप से पूर्ण कर प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है।

2. उल्लेखनीय है कि वर्ष 2024-25 के APAR को पूर्ण करने की निर्धारित समय-सीमा समाप्त हो चुकी है, जबकि विभाग को वर्ष 2025-26 के APAR की प्रक्रिया प्रारंभ करनी है। सक्षम प्राधिकारी द्वारा कुछ संवेदनशील कार्यालयों में व्यावहारिक कठिनाइयों को दृष्टिगत रखते हुए Auto-Forward विकल्प को वर्तमान में सख्ती से लागू नहीं किया गया है तथा पूर्व में समय-सीमा को कई बार बढ़ाया जा चुका है।

तथापि, यह व्यवस्था अस्थायी है। वर्ष 2024-25 की ऑनलाइन APAR प्रक्रिया बंद करने के पश्चात, किसी भी प्रकार की भौतिक (Physical) अथवा इलेक्ट्रॉनिक (Electronic) APAR/NRC किसी भी परिस्थिति में स्वीकार्य नहीं होगी।

3. यह स्पष्ट किया जाता है कि प्रत्येक CSOLS अधिकारी/कर्मचारी का यह दायित्व है कि APAR की स्थिति की स्वयं नियमित रूप से जाँच करे, कि APAR बंद (Closed) हो चुकी है अथवा किसी स्तर पर लंबित है तथा वह किस स्तर पर लंबित है। APAR की स्थिति Sparrow Portal में User Assistance टैब के अंतर्गत "Track Your PAR" विकल्प के माध्यम से देखी जा सकती है। यदि APAR बंद हो चुकी है, तो उसे Dossier Tab में "My completed APAR" में देखा जा सकता है।

4. उल्लेखनीय है कि APAR के प्रकटीकरण (Disclosure) की तिथि से 15 दिवस के भीतर ही अभ्यावेदन (Representation) प्रस्तुत किया जा सकता है। निर्धारित अवधि के भीतर अभ्यावेदन प्रस्तुत न किए जाने की स्थिति में अभ्यावेदन का अधिकार स्वतः समाप्त हो जाता है।

5. अतः सभी संबंधित अधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि वे लंबित APAR प्रकरणों में आवश्यक कार्रवाई तत्काल पूर्ण करें तथा व्यक्तिगत रूप से अनुसरण (follow-up) सुनिश्चित करें, ताकि वर्ष 2024-25 की APAR प्रक्रिया को विधिवत रूप से बंद किया जा सके और वर्ष 2025-26 की APAR प्रक्रिया समय पर प्रारंभ की जा सके।

6. किसी भी तकनीकी कठिनाई की स्थिति में संबंधित विवरण के साथ sparrowsupport-csols@gov.in तथा soservice-dol@gov.in पर सम्पर्क किया जा सकता है।

7. यह कार्यालय ज्ञापन सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

31/12/25

(राजेश कुमार)
सहायक निदेशक(सेवा)
दूरभाष: 011-23438125

सेवा में,

1. अवर सचिव (प्रशासन/स्थापना), संबंधित मंत्रालय/विभाग/कार्यालय तथा संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को राजभाषा विभाग की वेबसाइट के माध्यम से।
2. केंद्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा संवर्ग से संबंधित सभी मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों के राजभाषा अनुभाग के नियंत्रण अधिकारियों को राजभाषा विभाग की वेबसाइट के माध्यम से।
3. केंद्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा संवर्ग के सभी अधिकरियों/कर्मचरियों को वेबसाइट के माध्यम से।
4. वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, राजभाषा विभाग, एन.आई.सी। कृपया इस कार्यालय ज्ञापन को राजभाषा विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने की व्यवस्था करें।
5. गार्ड फ़ाइल।